वित्त निर्देश – 34/2006

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन–रायपुर

क्रमांक 345 /सी –1803/वित्त/नियम /चार/2006 रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:–राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1–10–2006 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।

---000---

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 163/सी 1803/वि/नि/चार/2006 दिनांक 13–4–2006 द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की दर निम्नानुसार संशोधित की जावे :–

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 1–10–2006 (माह अक्टूबर 2006 का वेतन जो माह नवम्बर 2006 में देय है	74 प्रतिशत

(2)राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :–

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी ।
2. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा ।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा ।
4. महंगाई भत्ते की गणना के लिये ''वेतन'' से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है ।
5. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अन्तर्गत जो कर्मचारी विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प दिये हैं, उन्हें भी उपर्युक्त महंगाई भत्ते की पात्रता होगी । इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना के लिए वेतन के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो तो) औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय महंगाई भत्ता एवं अंतरिम राहत की प्रथम तथा द्वितीय किश्त को शामिल किया जाना है ।

6. पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते का नियमितीकरण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार, दिनांक 8 जुलाई 1957 एवं इस संबंध में समय -समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा ।
7. ये आदेश यू.जी.सी.,ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे ।
8. इन आदेशों के अन्तर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सतीश पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

क्रमांक 346 /सी -1803/वित्त/नियम /चार/2006 रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता /उपमहाधिवक्ता,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
14. समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
15. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
17. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अमिताभ शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग